भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/212
विवि.एसओजी(एसपीई).आरईसी.131/13.03.00/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2025

विषय सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2
बी. उद्देश्य 2
सी. प्रयोज्यता 2
डी. परिभाषाएँ 2
अध्याय II - सामान्य दिशानिर्देश (ब्याज दर फ्रेमवर्क) 4
अध्याय III - घरेलू रुपया जमाओं 5
ए. घरेलू चालू खाते पर ब्याज दर 5
बी. घरेलू बचत जमा पर ब्याज दर 5
सी. घरेलू जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज भुगतान 5
डी. घरेलू बचत जमा पर ब्याज भुगतान की आवधिकता 6
अध्याय IV – निषेध और छूट 7
ए. निषेध 7
बी. छूट 8
अनुसूची- I 9
ए.निरसन और व्यावृत्ति 10
बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता पर रोक नहीं 10
सी. व्याख्याएँ 11

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा निर्दिष्ट निदेश जारी किए जाते हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक- जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश उस दिन से लागू हो जाएंगे जिस दिन इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर रखा जाएगा।

बी. उद्देश्य

3. ये निदेश भुगतान बैंकों को जमाओं पर ब्याज दर संबंधी अपनी नीतियां बनाते समय अनुसरण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

सी. प्रयोज्यता

4. ये निदेश भुगतान बैंकों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंक(कों)' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

डी. परिभाषाएँ

5. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए के अनुसार होगा:

(1) 'चालू खाता' का अर्थ है गैर-ब्याज वाले मांग जमा का एक रूप जहां खाते में शेष राशि के आधार पर या एक विशेष सहमत राशि तक किसी भी संख्या में निकासी की अनुमति दी जाती है और इसमें अन्य जमा खाते भी शामिल माने जाएंगे जो न तो बचत जमा हैं और न ही मियादी जमा।

(2) 'दैनिक उत्पाद' का अर्थ है दिन के अंत में शेष राशि पर लागू ब्याज।

(3) ' मांग जमा (डिमांड डिपॉजिट)' का अर्थ है, बैंक द्वारा प्राप्त की गई जमाराशि, जो मांग पर वापस ली जा सकती है।

(4) 'घरेलू रुपया जमा' का अर्थ है भारत में चालू खाता, बचत जमार अथवा मियादी जमा के रूप में रखी गई रुपया जमाराशि।

(5) 'परिवार' में बैंक की सेवा में/स्टाफ विनियमों में उल्लिखित सदस्य शामिल हैं।

6. 'हिंदू अविभाजित परिवार' (एचयूएफ) का अर्थ है एचयूएफ जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत परिभाषित किया गया है।

(7) 'व्यक्ति' का अर्थ है एक प्राकृतिक व्यक्ति।

(8) 'बैंक के स्टाफ के सदस्य' का अर्थ नियमित आधार पर नियोजित व्यक्ति से है, चाहे वह पूर्णकालिक हो अथवा अंशकालिक, और इसमें परिवीक्षा पर भर्ती किया गया व्यक्ति अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियोजित व्यक्ति और किसी समामेलन योजना के अनुसरण में लिया गया कर्मचारी शामिल है, लेकिन इसमें आकस्मिक आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है।

(9) 'बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी का अर्थ ऐसे कर्मचारी है जो बैंक की सेवा/कर्मचारी विनियमनों के अनुसार अधिवर्षिता पर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त हो रहा है।

(10) 'बचत जमा' का अर्थ ब्याज देने वाली मांग जमा का एक रूप है जो एक जमा खाता है, चाहे उसे 'बचत खाता', 'बचत बैंक खाता', 'बचत जमा खाता', 'बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' अथवा किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो निकासी की संख्या के साथ-साथ किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत निकासी की राशि के संबंध में प्रतिबंधों के अधीन है।

(11) अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि उन्हें इसमें परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन के तहत अथवा वाणिज्यिक शब्दावली में, जैसा भी मामला हो, प्रयोग किया गया है।

अध्याय II - सामान्य दिशानिर्देश (ब्याज दर फ्रेमवर्क)

6. बैंक द्वारा अपने घरेलू खाते में स्वीकार की गई जमाओं(चालू खाता जमाओं को छोड़कर) पर इन निदेशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा:

(1) निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की किसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्यापक नीति होगी।:

(2) जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए समान होंगी और किसी भी शाखा में एक ही तिथि को स्वीकार की गई समान राशि की जमा पर दिए जानेवाले ब्याज में कोई भेदभाव नहीं होगा।

(3) जमाराशियों पर देय ब्याज दरें पूर्व में उल्लिखित ब्याज दरों की अनुसूची के अनुसार ही होंगी।

(4) दरें जमाकर्ताओं और बैंक के बीच समझौता बातचीत के अधीन नहीं होंगी।

(5) प्रदान ब्याज दरें उचित, सुसंगत, पारदर्शी होंगी तथा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षी समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध होंगी।

(6) जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान से संबंधित सभी लेनदेन को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

अध्याय III - घरेलू रुपया जमाओं

ए. **घरेलू चालू खाते पर ब्याज दर**

7. चालू खातों में रखी गई जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि दिवंगत व्यक्तिगत जमाकर्ता या एकल स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर चालू खाते में शेष जमा राशि पर जमाकर्ता की मृत्यु की तिथि से दावेदार (दावेदारों) को भुगतान की तिथि तक बचत जमा पर लागू ब्याज दर पर ब्याज लगेगा।

बी. **घरेलू बचत जमा पर ब्याज दर**

8. इन निदेशों के पैरा 6 में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, घरेलू रुपया बचत जमा राशि पर ब्याज निम्नलिखित के अधीन होगा:

(1) ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

(i) 1 लाख रुपये तक की शेष राशि पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाएगी यद्यपि, खाते में इस सीमा के भीतर कितनी भी राशि हो।

(ii) किसी भी दिन के अंत में बचत बैंक शेष 1 लाख रुपये से अधिक होने पर ब्याज की विभेदक दरें प्रदान की जा सकती हैं।

सी. **घरेलू जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज भुगतान**

9. कोई बैंक, अपने विवेकानुसार, बैंक के कर्मचारियों और उनके अनन्य संघों के साथ-साथ अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या निश्चित अवधि के लिए ऐसे कार्यपालक अधिकारियों की जमा राशियों पर, बचत जमा पर, ब्याज दरों की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज की अनुमति देगा जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(1) अतिरिक्त ब्याज तब तक देय है जब तक व्यक्ति इसके लिए पात्र बना रहता है।

(2) समामेलन योजना के तहत लिए गए कर्मचारियों के मामले में, अतिरिक्त ब्याज की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब संविदात्मक दर पर ब्याज और अतिरिक्त ब्याज उस दर से अधिक न हो, जो उस स्थिति में दी जा सकती थी जब ऐसे कर्मचारी मूल रूप से बैंक में कार्यरत थे।

(3) किसी अन्य बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मचारियों के मामले में, जिस बैंक से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, वह बैंक प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अपने यहाँ खोले गए जमा खाते पर अतिरिक्त ब्याज दे सकता है।

(4) निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या निश्चित अवधि के संविदा (ठेका) पर लिए गए व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि की समाप्ति पर लाभ मिलना बंद हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(5) बैंक कर्मचारी महासंघ, जिसके बैंक कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य नहीं हैं, अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे।

(6) संबंधित जमाकर्ता से यह घोषणापत्र प्राप्त करने के बाद कि ऐसे खाते में जमा की गई धनराशि अथवा समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशि जमाकर्ता की है, निम्नलिखित जमा राशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया जा सकता है:

(i) बैंक के कर्मचारी का कोई सदस्य या सेवानिवृत्त हो चुका सदस्य, अकेले या अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से, बशर्ते कि कर्मचारी सदस्य/सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्य, प्रमुख खाताधारक हो; या

नोट: न्यायालय द्वारा नाबालिग बच्चे को दिए गए मुआवजे, जो कि नाबालिग बच्चे और माता-पिता के संयुक्त नाम पर जमा किया गया है, पर बैंक के कर्मचारियों को स्वीकार्य अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा, क्योंकि यह धनराशि नाबालिग बच्चे की है और न कि बैंक के कर्मचारियों की।

(ii) बैंक के किसी दिवंगत सदस्य का पति-पत्नि या दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारी का पति-पत्नि; और

नोट: बच्चे (नाबालिग सहित) बैंक के दिवंगत कर्मचारी को मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) कोई एसोसिएशन या कोई फंड, जिसके सदस्य बैंक के कर्मचारी हैं।

डी. **घरेलू बचत जमा पर ब्याज भुगतान की आवधिकता**

10. बचत जमा पर ब्याज बैंक द्वारा तिमाही आधार पर या उससे कम अंतराल पर जमा किया जाएगा।

11. प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए खातों सहित, बचत बैंक खातों पर ब्याज नियमित आधार पर जमा किया जाएगा, चाहे खाते की परिचालन स्थिति कुछ भी हो।

अध्याय IV – निषेध और छूट

ए. निषेध

12. बैंक को नहीं करना चाहिए:

(1) किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को जमा राशि पर किसी भी रूप या तरीके से कोई पारिश्रमिक या शुल्क या कमीशन या ब्रोकरेज या प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना, सिवाय:

(i) विशेष योजना के तहत घर-घर जाकर जमा राशि एकत्र करने के लिए नियुक्त एजेंटों को दिया जानेवाला कमीशन।

(ii) बैंक द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों/प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों को दिया जानेवाला कमीशन।

(iii) कारोबार सुविधा प्रदाताओं या कारोबार प्रतिनिधियों को दिया जानेवाला पारिश्रमिक।

(2) पुरस्कार/लॉटरी/मुफ्त यात्राएं (भारत और/या विदेश में), आदि, या जमा राशि जुटाने के लिए कोई अन्य पहल, जिसमें संभावना का तत्व हो, की पेशकश करें। हालाँकि, ₹250/- से कम कीमत के सस्ते उपहार जो कि भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा उनके बनाए गए आधारभूत नियमों और आचार संहिता के तहत निर्धारित राशि है, बैंक अपने विवेकानुसार, जमा स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को दे सकता हैं।

(3) एजेंटों/तीसरे पक्ष के माध्यम से जमा राशि जुटाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेना।

(4) चालू खाते के अलावा अन्य खातों में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार करना या अप्रत्यक्ष रूप से मुआवजा देना।

(5) किसी भी व्यवस्था के तहत वित्तपोषकों या अनिगमित निकायों से या उनके कहने पर जमा राशि स्वीकार करना, जो निजी वित्तपोषकों के ग्राहक/ग्राहकों के पक्ष में जमा रसीद जारी करने या परिपक्वता पर ऐसे ग्राहकों को ऐसे जमा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी), नामांकन अथवा प्राधिकार देने का प्रावधान करता है।

(6) अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजटीय आवंटन के आधार पर सरकारी विभागों/निकायों/नगर निगमों या नगर समितियों/पंचायत समितियों/राज्य आवास बोर्डों/जल और सीवरेज/ड्रेनेज बोर्डों/राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगमों/समितियों/महानगर विकास प्राधिकरण/राज्य/जिला स्तर की आवास सहकारी समितियों आदि, या किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यापार/व्यवसाय या पेशेवर संस्था

के नाम पर बचत जमा खाता खोलना, चाहे वह संस्था स्वामित्व वाली हो या साझेदारी वाली संस्था या कंपनी या व्यक्तियों के अलावा कोई संघ और संस्था हो, एचयूएफ का कर्ता और अनुसूची-I में सूचीबद्ध संगठन/एजेंसियां।

स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्य के लिए, 'राजनीतिक दल' का अर्थ भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के किसी संघ या निकाय से है, जो उस समय लागू, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत भारत के चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है या जिसे पंजीकृत माना जाता है।

नोट: सरकारी वित्त पोषण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी संस्था के नाम पर बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता।

(7) जमाकर्ताओं के परामर्श से दानार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी निधि बनाएँ।

बी. छूट

13. उपरोक्त पैरा में दिए गए प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(1) बैंक को प्राप्त जमा राशि:

(i) उन संस्थाओं से जिन्हें कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति है।

(ii) जिसके लिए उन्हें सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किया है।

(2) चेक, ड्राफ्ट, बिल, टेलीग्राफिक/मेल ट्रांसफर आदि जैसे बाहरी लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) के विलंबित संग्रह पर ब्याज का भुगतान।

अनुसूची- I

i. प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसायटी जिसे बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

ii. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।

iii. कृषि उपज बाजार समितियां।

iv. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियाँ, राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और भूमि बंधक बैंक बनाने वाले विशिष्ट राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी को छोड़कर।

v. कंपनियां जिन्हें केंद्र सरकार से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के संबंधित प्रावधान के तहत लाइसेंस मिला है और जिन्हें अपने नाम के साथ 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द न जोड़ने की अनुमति है।

vi. पैरा 12(6) में उल्लिखित संस्थानों के अलावा अन्य स12(6)न जिनकी संपूर्ण आय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

vii. केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों/सब्सिडियों के संबंध में सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों को बचत बैंक खाता खोलने के लिए संबंधित केंद्र /राज्य सरकार के विभागों से प्राधिकरण प्रस्तुत करने की शर्त पर।

viii. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बालविकास (डब्लूसीआरए)।

ix. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), पंजीकृत या अपंजीकृत, जो अपने सदस्यों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं।

x. किसान क्लब - विकास स्वयंसेवी वाहिनी - वीवीवी।

अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान

ए.निरसन और व्यावृत्ति

14. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, भुगतान बैंक पर लागू जमाओं पर ब्याज दर से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक नवंबर 28, 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरसित बने रहेंगे।

15. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई उन्हीं के प्रावधानों द्वारा संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत प्रदत्त सभी अनुमोदन या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा संचालित मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

(1) इसके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और किसी भी ऐसे जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और किसी भी ऐसे जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो उन निदेशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता पर रोक नहीं

16. इन निदेशों के प्रावधान लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अप्रभावी करने वाले।

सी. व्याख्याएँ

17. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभाव देने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो यहाँ शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(डॉ सुदर्शन साहु)
मुख्य महाप्रबंधक